(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज0)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 1/2020

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री बशीर मोहम्मद पुत्र गुलाम मोईनउद्दीन जाति मुसलमान (डीलर) ग्राम पोस्ट बडौरा ग्राम पंचायत बडौरा तहसील अटरू जिला बारॉ

(अप्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत राजस्थान जनमांग वसूली अधिनियम 1952

उपस्थित :– 1– श्री रूपचन्द सिंघावत अभिभाषक (प्रार्थी)
2– श्री असलम भारती अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 30.9.2021

प्रकरण न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से बाद निर्णय प्राप्त होने पर इस न्यायालय मे पेश हुआ। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 20/2016 पर दिनांक 4.1.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, उनके निर्णय दिनांक 13.12.2019 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2012 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2015 अपास्त किया जाकर, प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि सभी पक्षकारो को उचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे, प्रकरण मे पक्षकारान दिनांक 25.02.2020 को इस न्यायालय मे उपस्थित हो।

प्रार्थी राजस्थान सर[illegible] मुख्य [illegible] अधिकारी जिला परिषद बारां द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान [illegible]नमां[illegible] वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थी [illegible]र ग्राम पोस्ट बडौरा पंचायत समिति अटरू पर राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्त[illegible]12,181 किलोग्राम गेहूँ गबन किये जाने पर राशि 87[illegible]7/– रूपये वसूल [illegible] जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:36:28 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी से उक्त राशि के वसूल किये जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां के प्रतिनिधी द्वारा दिनांक 10.9.2003 को नोटिस बाबत वसूली दिया गया। किन्तु अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि 87,827/— रूपये जमा नही करवाने के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से उक्त बकाया राशि जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के अन्तर्गत वसूली हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, अप्रार्थी से 87,827/— रूपये की वसूली हेतु निवेदन किया।

राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि निदेशालय स्थानीय निधि अंकेक्षण दल द्वारा जांच पश्चात राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 12,181 किलोग्राम गेहॅू गबन किये जाने पर राशि 87,827/— रूपये अप्रार्थी से वसूल किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनों को दौहराते हुये कहा गया कि अप्रार्थी के विरूद्व जो वसूली की जा रही है वह नितान्त गलत है क्योंकि पोषाहार अप्रार्थी को नही दिया गया, इसलिये अप्रार्थी कोई अदायगी के लिये जिम्मेदार नही है। प्रकरण की स्पष्ट स्थिति यह है कि उक्त गेहॅू जो पोषाहार था अप्रार्थी को परिवहन कर्ता हेडलिंग एजेन्ट तारेन्द्र सिंह होरा द्वारा नही दिया गया तारेन्द्र सिंह होरा के विरूद्व पंचायत समिति अटरू द्वारा पोषाहार की बकाया वसूली की जा रही है और तारेन्द्र सिंह के विरूद्व गबन का प्रकरण भी दर्ज है। अप्रार्थी ने उसको दिये गये गेहॅू का हिसाब सम्बन्धित अधिकारी को दिया हुआ है ओर जो गेहॅू अप्रार्थी को प्राप्त हुआ था। वह अप्रार्थी द्वारा कूपन के द्वारा वितरण कर दिया गया है।

प्रकरण मे मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ऑडिट के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तुत की गई। जो ऑडिट सही नही है ओर ऑडिट के आधार पर की गई कार्यवाही खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी गरीब व्यक्ति है आय का कोई साधन नही है ओर अप्रार्थी के विरूद्व की गई वसूली को चुकाने के योग्य नही है परिवार मे छोटे छोटे बच्चे ओर मेहनत मजदूरी कर अपना तथा परिवार का जीवन यापन करता है। अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:36:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी एवं अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि निदेशालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के आदेश की अनुपालना में जॉच दल ने हेन्डलिंग ऐजेन्टो द्वारा प्रस्तुत प्राप्ति रसीदो से डीलर द्वारा प्रस्तुत पोषाहार कूपनो की जॉच कर डीलर द्वारा प्रस्तुत कूपन के आधार पर प्राप्त गेहॅू की मात्रा को समायोजन कर

शेष गेहूँ की मात्रा के आधार पर वसूली योग्य राशि निकाली गई है। अप्रार्थी के अभिभाषक प्रकरण मे प्रस्तुत जवाब के कथनों के समर्थन के कोई साक्ष्य, दस्तावेज एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाराँ के कार्यालय से अप्रार्थी के विरूद्ध गबन राशि बकाया नहीं होने का प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नही किये गये।

परिणामस्वरूप राज0 सरकार जर्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाराँ द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी श्री बशीर मोहम्मद पुत्र गुलाम मोईनउद्दीन मुसलमान (डीलर) ग्राम पोस्ट बडौरा ग्राम पंचायत बडौरा तहसील अटरू से राजस्थान जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत उनके द्वारा राशि जमा नही किये जाने के उपरान्त राशि 87,827/– रूपये पर 13 प्रतिशत ब्याज व 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने हेतु निर्णय की सत्यप्रतिलिपि अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां को वसूली हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 से सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:36:28 IST
Reason: SelfAttested